लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
029/2022 (GCMS 2022/149)	10.06.2022	06.07.2022

अनवान

रामसिंह पिता जोधसिंह चौहान निवासी आक्या, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 16.04.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./029/2022(सू.अ.)(05.07.2022)/463 दिनांक 10.06.2022 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ को दिनांक 05.07.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 05.07.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने दिनांक 06.07.2022 को स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आदिनांक तक वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई हैं अतः चाही गई सूचनाऐं दिलाने का आदेश प्रदान करावें। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांकःरीडर/आरटीआई/2022/67 दिनांक 23.06.2022 से कमेन्ट्स प्रेषित किए जो इस प्रकार हैं–

1. यह कि अपील के बिन्दु संख्या 01 स्वीकार हैं।
2. यह कि अपील के बिन्दु संख्या 02 स्वीकार हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. यह कि अपील के बिन्दु संख्या 03 के संबंध में प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं की सूचना कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक/रीडर/आरटीआई/49 दिनांक 17.05.2022 से रजिस्टर्ड पत्रांक से प्रेषित की जा चुकी है।(प्रति संलग्न हैं)
4. यह कि अपील बिन्दु संख्या 04 अस्वीकार होकर निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 18.04.2022 को कार्यालय हाजा में प्राप्त हुआ तत्पश्चात् नियत समयावधि अर्थात एक माह की अवधि के भीतर ही प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए कार्यालय के पत्र क्रमांक/रीडर/आरटीआई/49 दिनांक 17.05.2022 से प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रेषित किये जाने के पश्चात् असालतन/वकालतन कोई सम्पर्क नहीं किया गया है।
5. यह कि बिन्दु संख्या 05 अस्वीकार होकर निवेदन है कि बिन्दु संख्या 04 के अनुसार प्रार्थी को चूंकि नियत समयावधि में सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक उपलब्ध करवा दी गई है। फलस्वरूप अपीलार्थी शास्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होना प्रस्तावित है।
6. उक्त बिन्दुओं के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होकर निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांकःरीडर/आरटीआई/2022/67 दिनांक 23.06.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 16.04.2022 से वांछित सूचना अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, भदेसर द्वारा अपने रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक/रीडर/आरटीआई/49 दिनांक 17.05.2022 से नियत समायावधि अर्थात् एक माह में उपलब्ध करा दी गई है। इस पर हाजिर अपीलार्थी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसे आदिनांक तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावना को देखते हुए अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ को अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना पुनः नियमानुसार तैयार कर जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित करने के आदेशों के साथ अपील निस्तारित की जाती हैं।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **06.07.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official